

17

क्रमांक: 1.12(7)सह/2005

जयपुर, दिनांक: 27/2/07

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का राजस्थान अधिनियम सं० 16) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (1) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्ति प्रदान की जाये क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह निम्न है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिये, अर्थात् :-

DR/12

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2006 है।

27/2/07

नियम 8 का संशोधन:- राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 8 के उप-नियम (1) में, मद सं. 7(ग) के सामने स्तम्भ (5) में आये अंक "0.10" के स्थान पर अंक "0.015" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(एल० सी० अत्तवाल)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राज० सरकार।
2. शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
3. पंजीयक, सहकारी सामेठिया, राज० जयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

27/2/07  
शासन उप सचिव